

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. रविकान्त पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम्

1. मोहनीदेवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी
2. ललिता पुत्री महावीर प्रसाद } जिला हनुमानगढ।
3. प्रीती पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी भरत भूषण जाति ब्राहमण निवासी मुखर्जी नगर, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

C.N. 313/218

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक नं0 1 बीआरडब्ल्यू के प0न0 236/306 मु0 5 किला नं0 14/.202, 17/.240, 24/.240, प0न0 236/307 मु0 10 किला नं0 4/.240, 7/.253, 14/.253 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार वादी की आराजी का खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम करते हुए चकनं0 1 बी आर डबल्यू के खातासं0 122/110 मे से मोहनी देवी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 4/9/18 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4/9/18 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी